

Order Sheet [Contd]

II-156

C.J.

Case No. 491 of 2020

mpeb (C.J.)
VJS
सुनील

Date of order or proceeding	order or proceeding with signature of presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13-5-23	आवेदक परिवादी द्वारा श्री अमरेश सेठ कार्यपालन यंत्री म.प्र.प.क्षे. वि.वि. कं. लि. उज्जैन अभियुक्त / अभियुक्त गण स्वयं उपस्थित। प्रकरण राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत में पेश किया गया परिवादी की ओर से श्री सक्षम अधिकारी कार्यपालन यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कं.लि. उज्जैन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 (2) विधुत अधिनियम 2003 पेश किया गया। सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी/आरोपीगण के विरुद्ध धारा 135/138 विधुत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अपराध है जो शमनिय अपराध होने से परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 (2) विधुत अधिनियम 2003 का स्वीकार कर आरोपी / आरोपीगण को विधुत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 के अपराध से दोष मुक्त किया जाता है। आरोपीगण के विरुद्ध जारी जमानतीय / गिरफ्तारी वारंट अदम तामिली संबंधित थाने से वापस बुलवाया जावे। प्रकरण में पूर्व से नियत पेशी निरस्त की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य (मंजुल पाण्डेय) (अधिवेशिका-सुनील उज्जैन) अन्तर्गत विधुत अधिनियम 2003 (ग्रामीण) एवं दशम अपराध सत्र अधिनियम 2003 (म.प्र.) अन्तर्गत विधुत अधिनियम 2003 (ग्रामीण) एवं पीठासीन अधिकारी नेशनल लोक अदालत खण्ड पीठ कमांक..... उज्जैन	